2761

म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क्रमांक/व्यापम/5–प–1/ 29/8467/2014 भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर व्यापम द्वारा पीएमटी परीक्षा वर्ष–2012 का आयोजन दिनांक 10.06.2012 को किया गया था, जिसका परीक्षा परिणाम व्यापम द्वारा दिनांक 20.06.2012 को घोषित किया गया था। पीएमटी परीक्षा 2012 में अनियमितता ज्ञात होने पर थाना स्पेशल टॉस्क फोर्स, भोपाल में अपराध प्रकरण क्रमांक 12/13 पंजीबद्ध किया गया है।

2. कार्यालय सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक–समनि/एसटीएफ/मुख्यालय/2014 एचक्यू–87 दिनांक 28.01.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया कि पीएमटी परीक्षा 2012 में सम्मिलित 14 अभ्यर्थियों की व्यापम से जप्त ओएमआर उत्तरशीट की क्यूडी (राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख) पुलिस मुख्यालय, भोपाल से जॉच कराये जाने पर ओएमआर उत्तरशीटस में अलग–अलग स्याही से गोले भरे जाने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक म.प्र. एसटीएफ, भोपाल के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर व्यापम के आदेश क्रमांक व्यापम/5–प–1/2523/2014 भोपाल दिनांक 24.04.2014 के द्वारा **14 अभ्यर्थियों** के परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये थे।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक–8394/2014 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 के द्वारा व्यापम के उपरोक्त आदेश दिनांक 24.04.2014 को खारिज किया गया है। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक/उपुअ/एसटीएफ/2014–(एचक्यू–1679) भोपाल, दिनांक 29.11.2014 के द्वारा ओएमआर उत्तरशीट में इंक मिसमैच एवं स्केनिंग के दौरान स्कैन डाटा में छेड़छाड़/हेराफेरी पाये जाने वाले **19 अभ्यर्थियों** (पूर्व के 14 अभ्यर्थियों के साथ अन्य 05 अभ्यर्थियों को समाहित करते हुये) के विरूद्ध उनके कृत्य, साक्ष्य एवं दस्तोवजों की विवरण सूची व्यापम को उपलब्ध कराई गई ।

4. एसटीएफ, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन दस्तावेजों यथा आरोपी के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य, एफआईआर, संबंधित ओएमआर उत्तरशीटों का रिट्रीव डाटा, मेमोरेंडम, गिरफ्तारी पत्रक, जप्ती पत्रक, नितिन मोहिन्द्रा के कम्प्यूटर की जप्त हार्डडिस्क के रिट्रीव डाटा में प्राप्त एक्सेल फाईल शीट, स्टेट एक्जामिनर ऑफ क्योश्नड डॉक्यूमेंटस, म.प्र. शासन का अभिमत, अलग–अलग इंक से लगाये गये उत्तरों की मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्याकंन रिपोर्ट, व्यापम में उपलब्ध मॉडल उत्तर कुंजी, विभिन्न इंक से लगाये गये उत्तरों एवं उनमें से सही उत्तरों के आधार पर समिति द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक प्रतिशत रिपोर्ट, परिणाम व कट ऑफ अंकों की जानकारी एवं ओएमआर उत्तरशीट में काले किये गये गोलों से अंकित उत्तरों के मिलान हेतु सुपरवाईजरों द्वारा तैयार प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण हेतु व्यापम के पत्र क्रमांक व्यापम/5–प–1/8052/2014 भोपाल दिनांक 16.12.2014 द्वारा नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक (कम्प्यूटर) तथा संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) की त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

5. समिति द्वारा माह दिसम्बर – 2014 में दिनांक 27, 28, 29 एवं 30 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण किया गया। जिसका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है–

(A) अनु0 कमांक 429685 इशिता राठौर पिता श्री देवेन्द्र कुमार राठौर– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 20.06.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2446081 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 104312 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित /बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	**197**	**118**	**117**	**167**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 79 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 79 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8063/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(B) अनु0 कमांक 431220 दिशा सेठिया पिता श्री जिनेन्द्र सेठिया– अनारक्षित/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कंमाक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 05.08.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा प्रदीप रघुवंशी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2447719 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 404705 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित /बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	**199**	**119**	**117**	**176**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 80 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 80 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग एवं अनारक्षित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8062/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 24.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(C) **अनु0 कमांक 432166 निहारिका तिवारी पिता डॉ. नरेश तिवारी– अनारक्षित/बिना वर्ग**

(i) अभ्यर्थी का इनका नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 05.08.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2448766 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 204952 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	**198**	**117**	**109**	**175**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 81 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 81 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8059/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 24.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(D) अनु0 कमांक 435052 यश विजयवर्गीय पिता श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 29.07.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2451952 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 405698 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित /बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	**200**	**120**	**116**	**169**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 80 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 80 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया ।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8060/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपना लिखित उत्तर अपने अधिवक्ता श्री राजेश जोशी के माध्यम से दिनांक 24.12.2014 को व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण समिति द्वारा किया गया एवं पाया गया कि आवेदक द्वारा इस संबंध में परीक्षा का हवाला देकर रूबरू उपस्थित होकर व्यापम कार्यालय में जबाव देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय की गई समय–सीमा के कारण अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप इनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को अमान्य करते हुये उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

2766

(E) अनु0 कमांक 435133 आकाश पाराशर पिता श्री मुकेश पाराशर– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमाक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 18.06.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2452033 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 105719 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता हैं, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित /बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	**200**	**119**	**109**	**184**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 81 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 81 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8061/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 24.12.2014 का परीक्षण समिति द्वारा किया गया। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(F) अनु0 कमांक 435255 संकेत वैद्य पिता डॉ. शशांक वैद्य– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 10.02.2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2452155 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 305754 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता हैं, तैयार होती है। यह प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	**200**	**120**	**114**	**172**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 80 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 80 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पात्रता अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8064/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12.2014 को व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण समिति द्वारा किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अनुचित साधन संबंधी किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षण करने पाया गया कि परीक्षा के दौरान लगाये गये वास्तविक 80 उत्तरों में से मात्र 60 उत्तर सही थे जिनका प्रतिशत 75 है तथा स्कैनिंग पश्चात अतिरिक्त काले किये गये 120 उत्तरों मे से 114 उत्तर सही है जिनका प्रतिशत 95 है। इस प्रकार का प्रतिशत अंतर इन अतिरिक्त 120 उत्तरों को आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नहीं लगाये जाने की पुष्टि करता है। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

(G) अनु0 कमांक 437710 समीर तिवारी पिता श्री विनय तिवारी– अनारक्षित/बिना वर्ग

(i) अभ्यर्थी का नाम एसटीएफ थाना में दर्ज अपराध कमांक 12/13 दिनांक 30.10.2013 में आरोपियों की सूची में उल्लेखित है एवं इन्हें दिनांक 11.02..2014 को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ द्वारा भेजी गई जानकारी में यह वर्णित है कि इनके द्वारा डॉ. विनोद भंडारी (वे भी इस अपराध में आरोपी हैं) के माध्यम से व्यापम के अधिकारियों व कर्मचारियों से सेंटिग कर खाली छोड़ी गई ओएमआर उत्तरशीट के स्कैन डेटा में छेड़छाड़ की गई एवं संशोधन कर ओएमआर उत्तरशीट में गोले भरवाकर षडयंत्र पूर्वक इस परीक्षा में पास हुये, ऐसी जानकारी एसटीएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है। व्यापम में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी को 200 प्रश्नों वाली उत्तरशीट कमांक 2454974 तथा प्रश्नपुस्तिका कमांक 206393 परीक्षा के दौरान जारी की गई हैं।

(ii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने की प्रकिया यह रहती है कि संबंधित की ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता है, वहां उसकी मूल स्कैन डेटा फाईल जिसका एक्सटेंशन (.DAT) होता है, तैयार होती है। यह प्रकिया सभी अभ्यर्थियों की उत्तरशीट में अपनाई जाती है एवं उसके अगले चरण में इस .DAT फाईल को .DBF फाईल में परिवर्तित किया जाता है ताकि आगे के कम्प्यूटर प्रोग्राम में उसे उपयोग किया जा सके। एसटीएफ द्वारा व्यापम को उपलब्ध कराये गये मूल स्कैन डेटा फाईल (.DAT) अनुसार विवरण निम्नानुसार है–

.DAT फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में मूलतः अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	.DBF फाईल अनुसार ओएमआर उत्तरशीट में अंकित पाये गये उत्तरों की संख्या	ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त रूप से काले किये गये उत्तरों की कुल संख्या	मॉडल उत्तर कुंजी और अतिरिक्त रूप से काले किये गये गोलों का मिलान करने पर प्राप्त संख्या	अभ्यर्थी को प्राप्त कुल अंक	अनारक्षित/बिना वर्ग में पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	**200**	**120**	**120**	**175**	**100**
एसटीएफ द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है		व्यापम द्वारा परीक्षण किये जाने पर पुष्टि होती है			

(iii) अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से उत्तरशीट में स्वयं के द्वारा 80 उत्तर अंकित करना पाया गया है। इन उत्तरों के आधार पर अभ्यर्थी के सभी उत्तर सही होने पर अधिकतम 80 अंक ही प्राप्त हो सकते थे, जिससे अभ्यर्थी का चयन संभव नहीं था क्योंकि अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित/बिना वर्ग के अंतर्गत हुआ है, जिसमें न्यूनतम पातत्रा अंक 100 है। उक्त परिवर्तन के कारण ही अभ्यर्थी चयनित हो गया है।

(iv) व्यापम के पत्र कमांक व्यापम/5–प–1/8064/2014 भोपाल, दिनांक 17.12.2014 द्वारा अभ्यर्थी को अपना पक्ष दिनांक 27.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा अपना लिखित उत्तर दिनांक 27.12.2014 को व्यापम में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति के समक्ष रखा गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर का परीक्षण समिति द्वारा किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अनुचित साधन संबंधी किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षण करने पाया गया कि परीक्षा के दौरान लगाये गये वास्तविक 80 उत्तरों में से मात्र 54 उत्तर सही थे जिनका प्रतिशत 67.50 है तथा स्कैनिंग पश्चात अतिरिक्त काले किये गये 120 उत्तरों मे से 120 उत्तर सही है जिनका प्रतिशत 100.00 है। इस प्रकार का प्रतिशत अंतर इन अतिरिक्त 120 उत्तरों को आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नहीं लगाये जाने की पुष्टि करता है। उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में आवेदक के उत्तर को मान्य करने योग्य नहीं पाया गया। फलस्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा की गई है।

2789

6. उल्लेखित **समस्त 07 प्रकरणों** की व्यापम स्तर से जांच की गई। समिति द्वारा संपादित जांच में निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुये :–

(i) अभ्यर्थी की दोनों ओएमआर उत्तरशीटों का परीक्षण करने पर उत्तरशीट में व्यापम के दोनों स्कैन नम्बर मुद्रित पाये गये हैं । जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ओएमआर उत्तरशीट को ओएमआर स्कैनर द्वारा मूल रूप से स्कैन किया गया है और उनकी .DAT फाईल तैयार हुई। इससे स्पष्ट होता है कि स्कैनिंग के उपरांत इनके डेटा एवं ओएमआर उत्तरशीट में अतिरिक्त गोले लगाये गये हैं।

(ii) समस्त प्रकरण ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान किये जाने से संबंधित हैं, जिसका समाधान समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से हो जाता है।

(iii) समिति द्वारा परीक्षण में पाया गया कि अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में वास्तविक रूप से प्राप्तांकों में गड़बड़ी की गई है और उन्हें प्राप्त होने वाले प्राप्ताकों में वृद्धि कर गलत तरीके से सफल करवाया गया है।

(iv) अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तरशीट में छेड़छाड़ स्कैन होने के पश्चात् की गई है। जिसका प्रमाणिक तथ्य दो प्रकार के उत्तरित आकडों की दो फाईलें कम्प्यूटर से प्राप्त होना है।

(v) मूल स्कैन डेटा फाईल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रमाण है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना दस्तावेजों में हेराफेरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

(vi) परीक्षण से यह भी सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी ने चयन के लिये अनुचित साधन का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

(vii) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल में ओएमआर उत्तरशीट की स्कैनिंग एवं परीक्षा परिणाम का कार्य नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, अजय कुमार सेन, तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट एवं सी.के. मिश्रा, तत्कालीन सहायक प्रोग्रामर द्वारा डॉ. पंकज त्रिवेदी तत्कालीन नियंत्रक के निर्देशन में संपादित किया गया था।

(viii) एसटीएफ द्वारा इस आपराधिक प्रकरण में इन सभी को भी तथा इनके मध्यस्थों को भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि उपरोक्त परिवर्तन इनके द्वारा/माध्यम से किया गया है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल है जिसके कारण से इन 07 अभ्यर्थियों का व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दूषित है। अतः नियमपुस्तिका के नियम कमांक– 4.9 के तहत इन प्रकरणों को यूएफएम (अनुचित साधन) मान्य करते हुये उनके परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
व्यापम, भोपाल

पृ0कमांक/व्यापम/5–प–1/ 35/8468/2014 भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014
प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
व्यापम, भोपाल